

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग


क्रमांक प. 8(1)कार्मिक/क-2/1999पार्ट

जयपुर, दिनांक:- 14.10.2020

आज्ञा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 316(1) के अन्तर्गत डॉ. भूपेन्द्र सिंह को कार्यभार संभालने की तिथि से अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पद पर एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।


राज्यपाल की आज्ञा से


14.10.2020

संयुक्त शासन सचिव


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. डॉ. भूपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/उप शासन सचिव।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर।
12. सचिव, राजस्थान कर्मचारी, चयन बोर्ड, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
14. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
16. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रकाशनार्थ। कृपया संबंधित प्रकाशन की तीन प्रतियां इस विभाग को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें।


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069
3. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

59/2020